वाजोडेकल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

मुकदमा संख्या /वर्ष प्रा.पत्र 56/2020 : /20 सांगानेर

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी पेशकार हाजर उपस्थित वकील प्रार्थना पत्र 136 प्रस्तुत किया गई वास्ते आदेश 25-9-20 को पेश हो। ह0 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	ह0 18.09.2020 TBR Sanganer ह0
	25-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पेशकार हाजिर आई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वाले ग्राम श्यो नागोरियान स्थित भूमि खाता खसरा नं. 2432 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं. 3911, 3912, 3913 [illegible] दर्ज है। भूमि वर्तमान में [illegible] के नाम दर्ज है जिसमें [illegible] बिना के और खातेदारी दर्ज कर दिया है।	ह0 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:33 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	निर्दे...
		विवादित आराजीयात पूर्व में मिन्हाई की भूमि थी। जिसके मांगला व नाथ्या पुत्रान मांगीलाल मीणा काश्त करते थे। जागीरदार मांगला व नाथ्या को भूमि का पट्टा दे रखा था जागीर समाप्त होने पर मांगला व नाथ्या स्वतः ही खातेदार हो गये थे किन्तु गलती से उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई। प्रार्थीगण के पिता ने भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए एक वाद मुकदमा नम्बर 35/1963 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पिता को हुक्म नम्बर 28.2.1966 को प्रार्थीगण के पिता को खातेदार होना घोषित कर दिया जिसका इन्तकाल नामान्तरकरण नम्बर 262 दिनांक 21-10-77 को खोला गया। इसके बाद [illegible] हो गया। प्रार्थीगण [illegible] स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम खोला गया किन्तु प्रमाणपत्र के रूप से प्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज कर दिया	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:33 IST
Reason: SelfAttested

वाद अहकाम

न्यायालय

काजोडमल वगैरह बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार

मुकदमा संख्या /वर्ष प्रा.पत्र 56/2022 /20 सांगानेर

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		भू-प्रबन्ध विभाग को खातेदारी मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। भू-प्रबन्ध विभाग की उक्त भूल क्लेरिकल मिस्टेक की परिधी मे आती है जिनको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 RL Act स्वीकार किया जाकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण को गैर खातेदार का इन्द्राज कर दिया गया है उसको निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को खातेदार का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। दौराने बहस अभिभाषक/प्रतिवादी सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र 238/26.8.20 मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादीगण खातागोली [illegible] सम्बन्धित खसरा 2432 रकबा [illegible] हैक्टेयर जिसके हाल खसरा 3911, 3912, 3913 रकबा 2.21 है. प्रार्थीगण को गैर खातेदारी मे दर्ज है।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:33 IST
Reason: SelfAttested

कजोड़मल व अन्य बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांभर

प्रा.पत्र 56/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	निशे
		न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 28.2.1966 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 262 / 21.10.1977 मोजा जानकी पिता मांगीलाल मीणा (विधवा) रामनारायण के नाम खातेदारी का स्वीकृत हुआ है भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त खतौनी के खसरा संख्या 569 के अनुसार मोजा जानकी पिता मांगीलाल जाति मीणा सा. देह गैर खातेदारी में दर्ज की गई है परन्तु खातेदारान की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 24-4-1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 185 दि 24.7.92 [नामान्तरकरण संख्या 185] दिनांक 24.7.1992 में नामान्तरकरण संख्या 262 का अंकन किया है भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खोला गया है। इसमें बहस वकील प्रार्थीगण एवं अभिलेख [illegible] पर [illegible] पत्रावली का अवलोकन [illegible] पर पाया कि विवादित आराजी प्रतिवादियों [illegible] 2432 रकबा [illegible] 13 बिस्वा वाके ग्राम [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:33 IST
Reason: SelfAttested

कमोडमल वगैरह **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

संख्या /वर्ष प्रार्थना 56/2020 सांगानेर /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	हाल खसरा नं. 3911, 3912, व 3913 रकबा 2.21 है का आवंटन उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा दिनांक 28.2.1966 को प्रार्थीगण के पूर्वज मंगला, नानक पुत्र मंगलाराम को भूमि खातेदारी प्रविष्टि की जिनका प्रमाणीकरण नामान्तरकरण क्रमांक 262 दिनांक 21-10-1977 को खोला गया था। इस कारण से प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 RLRA स्वीकार किया जाता है। भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया था को दुरुस्त किया जाकर खातेदार अंकित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण को खातेदारी अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर